समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र का आज समापन होने जा रहा है। पाँच दिनों के इस सत्र में सत्ता पक्ष की गंभीरता और संवेदनशीलता तथा विपक्ष की जागरूकता एवं सहयोग से यह सदन सकारात्मक सत्र का गवाह बना है । बीच में कुछ अप्रिय प्रसंग भी आए लेकिन माननीय सदस्यगण आप सबने राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के दिखाए उस रास्ते, जिसमें उन्होंने 'सहिष्णुता एवं उद्देश्य की पवित्रता' को लोकतंत्र के लिए अनिवार्य माना था, पर चलते हुए न केवल जन आकांक्षाओं का ख्याल रखा, बल्कि सदन की मर्यादा का भी अनुपालन किया । इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

माननीय सदस्यगण यह सत्र एक सकारात्मक सत्र होने के साथ-साथ ऐतिहासिक भी रहा । मुझे आपसे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि लोक सभा के तर्ज पर सदन की सहमति से सत्र का शुभारंभ राष्ट्रगान से हुआ और समापन राष्ट्रगीत से होगा । इस सत्र के प्रत्येक कार्यदिवस में सारे विभागों से शत-प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए । इसके लिए सरकार के सभी संबंधित विभाग बधाई के पात्र हैं । विधान सभा में पहली बार जीत कर आये माननीय सदस्यों को प्रश्नकाल के दौरान क्रम से परे होकर प्रश्न पूछने में प्राथमिकता दी गयी । सिवान जिले में पाँच सामाजिक अभिशापों से मुक्त, वरदानों से युक्त, और सम्मानों से पूर्ण कार्यक्रम के तहत युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस सत्र के दौरान सिवान जिले के बच्चों को सदन की कार्यवाही देखने का अवसर मिला । इस जिले के सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ ।

लीक पर वे चले जिनके पद दुर्बल और हारे हैं,
हमारी तो यात्रा से जो बने हमें अनिर्मित पथ प्यारे हैं ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 29 नवम्बर, 2021 को प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 की प्रति सदन पटल पर रखी गयी । सप्तदश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 08 (आठ) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया एवं उसी दिन प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया । कुल-09 (नौ) जननायकों के निधन के प्रति शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 30 नवम्बर, 2021 को माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा एवं श्री राणा रणधीर के जल संसाधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर के पश्चात आसन द्वारा प्रभारी मंत्री जल संसाधन को निदेश दिया गया कि बड़हिया-मोकामा टाल क्षेत्र की समस्या को दूर करने के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाने की शीघ्र व्यवस्था करे तथा साथ ही बिहार विधान सभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को यह विषय सौंपते हुए यह भी निदेश दिया गया कि समिति इस कार्य का पर्यवेक्षण करेगी और अगले सत्र में इस संबंध में किए गए कार्य से अंतरिम प्रतिवेदन के माध्यम से सदन को सूचित करेगी ।

दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 के प्रतिवेदनों यथा "वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)", "विनियोग लेखे" तथा "राज्य का वित्त" जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा षष्ठम राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन, खण्ड-1 एवं 2 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी एवं उसी दिन वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शिक्षा विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई एवं शेष माँगे गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई । तत्पश्चात संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :-

1) बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021.
2) बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021.
3) बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021.
4) बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2021.

इस सत्र में कुल-890 प्रश्न प्राप्त हुए । इन 890 प्रश्नों में कुल-31 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 31 के उत्तर प्राप्त हुए, 649 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 633 के उत्तर प्राप्त हुए । साथ ही 107 प्रश्न अतारांकित हुए, जिनमें 20 के उत्तर प्राप्त हुए ।

इस सत्र में कुल-101 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 90 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 03 अमान्य हुए ।

इस सत्र में कुल-129 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 127 स्वीकृत हुए एवं 02 अस्वीकृत हुए । कुल-48 याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 46 स्वीकृत एवं 02 अस्वीकृत हुई । इस सत्र में कुल-91 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई ।

इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से अनेक जनहित के मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, नियमावली एवं अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ ।

समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

माननीय सदस्यगण क्रिसमस एवं नव वर्ष 2022 के शुभागमन की बेला में मैं आप सभी माननीय सदस्यों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ तथा नया वर्ष प्रदेश की जनता के लिए सुख समृद्धि लेकर आए और आप सभी का जीवन सुखमय हो, इसके लिए शुभकामना देता हूँ ।

साथ सदन का हो तो, इतिहास नया बनेगा,
यह समृद्ध बिहार अपना, कीर्तिमान नया गढ़ेगा ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।